

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज०)**

प्रकरण संख्या :- 146/25

तारीख फ 27/6/25

अनिल मेघवंशी पुत्र रामचन्द्र जाति मेघवाल उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी कास्या, तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज०)

बनाम

.....प्रार्थी

01. राहुल लसोड पुत्र आजादकुमार जाति जैन उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी कास्या, तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
02. कैला पुत्र कजोड जाति भील उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी कास्या, तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.) विरोध

.....विपक्षीगण

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा०ले०रे०एक्ट**

-: आदेश :-

दिनांक:

प्रार्थना पत्र अनिल मेघवंशी पुत्र रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी कास्या, तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज०) ने जरिये अभिभाषक श्री पिंकोश धाकड द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि ग्राम कास्या पटवार हल्का कास्या कला तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 146 पर अंकित आराजी संख्या 455 रकबा 0.1781 हैक्टैयर भूमि, आराजी संख्या 733/456 रकाबा 0.3237 हैक्टैयर कुल किता 02 रकबा 0.5018 हैक्टैयर भूमि पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावेँ साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक कास्या को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस वक्त मौका प्रार्थी अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम कास्या पटवार हल्का कास्या कला तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 146 पर अंकित आराजी संख्या 455 रकबा 0.1781 हैक्टैयर भूमि, आराजी संख्या 733/456 रकाबा 0.3237 हैक्टैयर कुल किता 02 रकबा 0.5018 हैक्टैयर भूमि बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100/- रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावेँ।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया



उपखण्ड/अधिकारी  
बिजौलियाँ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या -

146/25

प्रेषित :-

तारीख

11/6/25

तहसीलदार  
बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या .....146..... / 2025 पत्थरगढ़ी बाबत।

अनिल मेघवंशी पुत्र रामचन्द्र जाति मेघवाल उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी कास्या, तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

बनाम

.....प्रार्थी

01. राहुल लसोड पुत्र आजादकुमार जाति जैन उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी कास्या, तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
02. कैला पुत्र कजोड जाति भील उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी कास्या, तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

*(Handwritten signature)*

.....विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि ग्राम कास्या पटवार हल्का कास्या कला तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 146 पर अंकित आराजी संख्या 455 रकबा 0.1781 हैक्टेयर भूमि, आराजी संख्या 733/456 रकबा 0.3237 हैक्टेयर कुल किता 02 रकबा 0.5018 हैक्टेयर भूमि की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नहीं हटया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढ़ी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षकर कास्या को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस वक्त मौका प्रार्थी अदा करें। पत्थरगढ़ी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडौसीयान को सूचित करते हुए पत्थरगढ़ी करें। पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।



*(Handwritten signature)*  
उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ